प्रेस विज्ञप्ति

09.05.2026

ईडी द्वारा श्रावंती समूह के प्रवर्तक दंडमूडी वेंकटेश्वर राव (डी.वी. राव) तथा उनके सहयोगियों के विरुद्ध धन शोधन संबंधी जांच में लगभग ₹284 करोड़ के बड़े पैमाने पर धन शोधन का खुलासा हुआ है। इस प्रकरण में दो निदेशकों–डी.वी. राव एवं डी. शांति किरण–तथा डी.वी. राव के भाई डी. अवनिंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है। विशेष न्यायालय द्वारा तीनों आरोपियों को दिनांक 12 मई, 2026 तक ईडी अभिरक्षा में भेजा गया है।

आधारभूत अपराध : व्यापक बैंक धोखाधड़ी एवं आरटीजीएस प्रणाली का दुरुपयोग

यह जांच थाना सेक्टर-40, गुरुग्राम में दर्ज अनुसूचित अपराध संबंधी प्राथमिकी संख्या 0360/2025 से प्रारंभ हुई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि डी.वी. राव के नियंत्रणाधीन कंपनी मेसर्स डीजेडब्ल्यू इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने विभिन्न संस्थाओं से धोखाधड़ीपूर्वक ऋण प्राप्त किए। ईडी द्वारा अब तक की गई जांच से यह उजागर हुआ है कि इस धोखाधड़ी में लगभग ₹58 करोड़ की ऋण राशि सम्मिलित थी।

जांच में एक सुनियोजित कार्यप्रणाली का खुलासा हुआ, जिसके अंतर्गत डीजेडब्ल्यू के लेखा अभिलेखों में यह दर्शाया गया कि ऋण राशि मूल ऋणदाताओं को वापस की जा रही है, जबकि वास्तव में बैंकिंग आरटीजीएस प्रणाली का दुरुपयोग किया गया। आरटीजीएस अधिदेश प्रपत्रों में वास्तविक ऋणदाताओं के नाम अंकित किए गए, किंतु उनमें कोलकाता स्थित शेल कंपनियों के बैंक खातों का विवरण दिया गया। परिणामस्वरूप, ऋण पुनर्भुगतान की राशि वैध ऋणदाताओं को लौटाए जाने के बजाय नेक्सस इंटरनेशनल, भवतारिणी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड तथा गैबेल ट्रेडिंग कंपनी जैसी शेल कंपनियों को अंतरित कर दी गई।

एसईपीएल प्रकरण एवं ₹228 करोड़ की अपराध आय:

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आगे की जांच के दौरान एक अन्य अनुसूचित अपराध (प्राथमिकी संख्या 336/2025) दर्ज किया गया तथा डी.वी. राव के नियंत्रणाधीन श्रावंती एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल) से संबंधित समानांतर धन शोधन जांच प्रारंभ की गई।

जांच में यह पाया गया कि एसईपीएल द्वारा मेसर्स वर्सेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नामक एक शेल कंपनी को प्रति माह लगभग ₹75 लाख "कंसल्टेंसी शुल्क" के रूप में धोखाधड़ीपूर्वक भुगतान किया जा रहा था। उक्त कंपनी का न तो कोई कार्यालय था और न ही कोई कर्मचारी, तथा यह डी.वी. राव के ससुर के नाम पर पंजीकृत थी। इस फर्जी व्यवस्था के माध्यम से ₹89.36 करोड़ की राशि अवैध रूप से स्थानांतरित की गई।

साथ ही, एसईपीएल द्वारा 100 से अधिक शेल कंपनियों से बिना किसी वस्तु अथवा सेवा की वास्तविक आपूर्ति के ₹139 करोड़ से अधिक की फर्जी खरीद दर्शाते हुए कूटरचित चालानों के आधार पर भुगतान किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि उक्त भुगतान राशि नकद रूप में डी.वी. राव एवं उनके परिवार को वापस प्राप्त हुई। एसईपीएल प्रकरण में डी.वी. राव एवं उनके परिवार के विरुद्ध अब तक लगभग ₹228 करोड़ की अपराध आय चिन्हित की गई है।

बैंकों के प्रति चूक एवं निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का खुलासा:

ईडी जांच से यह भी उजागर हुआ है कि डी.वी. राव ने पूर्व में बैंकों के प्रति भारी ऋण अदायगी में चूक की थी, जिसके परिणामस्वरूप एसईपीएल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित हो गई। इसके कारण बैंकों को बाध्य होकर एकमुश्त समझौता (ओटीएस) करना पड़ा, जिससे बैंकिंग प्रणाली को ₹1500 करोड़ से अधिक की हानि हुई। दूसरी ओर, जब कंपनी भारी ऋण के बोझ तले दब रही थी, उसी दौरान डी.वी. राव द्वारा व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु कंपनी की धनराशि का व्यवस्थित रूप से दुरुपयोग एवं गबन किया जा रहा था। इस प्रकार उन्होंने न केवल बैंकों, बल्कि कंपनी के निवेशकों के साथ भी धोखाधड़ी की।

उल्लेखनीय है कि कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कंपनी में अल्पांश हिस्सेदारी रखते हैं, जिससे यह मामला व्यापक जनहित से भी जुड़ जाता है।

<u>आभूषण, लग्जरी वाहनों की जब्ती एवं संपत्तियों की अस्थायी कुर्की:</u>

प्रकरण में पूर्व में की गई तलाशी कार्रवाई के दौरान ईडी द्वारा डी.वी. राव एवं उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित लगभग ₹5 करोड़ मूल्य के स्वर्ण एवं हीरा आभूषण तथा अनेक लग्जरी वाहन जब्त किए गए थे। तत्पश्चात्, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत मेसर्स श्रावंती एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल) एवं अन्य के विरुद्ध दिनांक 03.03.2026 को लगभग ₹24 करोड़ मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों के संबंध में अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया गया। कुर्क की गई संपत्तियों में 25,060 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले 5 आवासीय भवन तथा लगभग 292 एकड़ एवं 37 गुंठा औद्योगिक/कृषि भूमि शामिल है, जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं कर्नाटक में स्थित है तथा दंडमूडी वेंकटेश्वर राव एवं उनके परिवारजनों के स्वामित्वाधीन है।

<u>जांच में असहयोग एवं गैर-जमानती वारंट जारी:</u>

ईडी द्वारा अनेक समन जारी किए जाने के बावजूद डी.वी. राव फरार रहे तथा जांच में सहयोग नहीं किया। उनके लगातार असहयोग एवं जांच से बचने के प्रयासों के कारण माननीय न्यायालय ने उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु उनके विरुद्ध खुला गैर-जमानती वारंट जारी किया।

<u>दंडमूडी अवनिंद्र कुमार (डीए कुमार) की भूमिका</u>

मुख्य आरोपी के भाई दंडमूडी अवनिंद्र कुमार (डीए कुमार) ने भी जांच में बाधा उत्पन्न करने में सक्रिय भूमिका निभाई। दिनांक 02.04.2026 को प्रितिश कुमार झिंगन के परिसरों पर की गई तलाशी के दौरान ₹1 करोड़ नकद बरामद किए गए।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 50 के अंतर्गत दर्ज बयान में प्रितिश कुमार झिंगन ने खुलासा किया कि उक्त नकदी डीए कुमार द्वारा तीसरे पक्षों को भुगतान करने हेतु भेजी गई थी। उसने यह भी बताया कि डीए कुमार दिल्ली एवं गुरुग्राम में कुछ व्यक्तियों से मिलकर अपने भाई डी.वी. राव के विरुद्ध चल रही पीएमएलए कार्यवाही को प्रभावित करने का प्रयास करता था।

इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट हुआ कि डी.वी. राव ईडी की कार्यवाही से बचने हेतु हैदराबाद स्थित डीए कुमार के आवास पर छिपे हुए थे।

<u>न्यायिक अभिरक्षा:</u>

तीनों आरोपियों को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने आरोपों की गंभीरता तथा धन शोधन में आरोपियों की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए माना कि उनकी अभिरक्षात्मक पूछताछ आवश्यक है। तदनुसार, न्यायालय द्वारा तीनों आरोपियों को दिनांक 12.05.2026 तक ईडी अभिरक्षा में भेजा गया।